



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1994/वैशाख 3, 1916
No. 199] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1994/VAISAKHA 3, 1916

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1994

का. आ. 323 (अ).—पंचायत ग्राम पंचायत, समितियां और जिला परिषद् (चण्डीगढ़ निरसन) अधिनियम, 1994 (1994 का 27वां) का धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन.द्वारा अप्रैल, 1994 के 23वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[एफ. सं. यू.-11014/3/94-यू.टी.एल.]

आर. आर. शाह, संयुक्त सचिव